

की विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है। गन्ना आपूर्ति के भुगतान में भी विलम्ब हो रहा है। मेरे और सदन के अनेक माननीय सदस्यों की बार-बार चेतावनी पर और खासतौर से स्पीकर महोदय के हस्तक्षेप पर लगभग एक चौथाई बकाये का भुगतान तो हुआ लेकिन करीब-करीब सारा भुगतान सोसायटी ने अपने बकाये में मुजरा कर लिया है। कम से कम 31 मार्च तक की गन्ना सप्लाई के बकाये के भुगतान की व्यवस्था अविलम्ब होनी चाहिये।

12.16 hrs.

(Mr. Deputy-Speaker in the Chair)

2. खाड़ी और अरब देशों के गोश्त और गोश्त वाले जानवरों के निर्यात से इस रोजगार में लगे लाखों लोगों को रोजी मिली थी पर इन देशों ने इलजाम लगाया है कि हमारे देश के जानवर प्लेग की बीमारी से पीड़ित हैं और इनमें से अधिकांश देशों ने भारत से अपने देश में जानवर और गोश्त दोनों के आयात पर पाबंदी लगा दी है। जानवरों और गोश्त की खेप जो रास्ते में जहाजों पर है उन्हें भी लेने से इंकार कर दिया है।

इन दोनों गंभीर विषयों पर अगले हफ्ते सदन में बहस जरूरी समझता हूं।

श्री जयपाल सिंह कश्यप (आवला) : मैं संसदीय कार्य मंत्री के आगामी सप्ताह की कार्यवाही के सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य देना चाहता हूँ :—

चीनी के अनेक कारखाने बंद किए जा रहे हैं और देश के अनेक भागों में अभी तक गन्ना खड़ा हुआ है, उसकी पिराई नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में एवं बदायूं के मिल को बंद कर लाखों गन्ना किसानों से खिलवाड़ करने और उनके खड़े गन्ने की पिराई न कर इसे नष्ट करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। इससे किसानों की अरबों रुपये की क्षति होगी और देश की भी बहुत हानि होगी। सरकार निर्देश दे कि गन्ना

मिलों में उस समय तक पिराई चालू रखी जाये जब तक कुल गन्ने की पिराई न हो जाये।

2. बदायूं जिला उत्तर प्रदेश का बहुत पिछड़ा जिला है। आवागमन के साधन की कमी के कारण इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। इस जिले के लोगों की बराबर मांग रही है कि शाहजानपुर कटरा से दातागंज, बिनावर, बदायूं, वजीरगंज होकर चंदोसी तक बड़ी रेल लाइन बिछा कर इसे बड़ी लाइन से जोड़ दिया जाये। आगामी सप्ताह इन दोनों मुद्दों को चर्चा के लिये सम्मिलित किया जाए।

CANTONMENTS (AMENDMENT) BILL—COTD.

MR. DEPUTY SPEAKER : Now, the House will take up the next item on the agenda, namely, further consideration of the motion moved by Shri K. P. Singh Deo. Mr. Daga was on his legs. He will continue his speech. Please conclude in five minutes.

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि इस बिल में 167 क्लोजेज हैं और आपने अमेंडमेंट्स भी किए हैं। अच्छा होता यदि यह बिल थोड़े समय के लिए सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाता। इस प्रकार के कानून जब बनते हैं तो कुछ घंटों में पारित हो जाते हैं और लाखों लोगों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार के बिल जल्दी में पास नहीं होने चाहिए। अगर यह बिल सिलेक्ट कमेटी को भेज देते हैं तो कैंटोनमेंट में रहने वाले लोग अपनी तकलीफ इस कमेटी के सामने बता सकते हैं। पार्लियामेंट में भी जब कभी बिल आते हैं तो स्टैंडिंग कमेटी में उनको इक्जामिन किया जाता है, उसके बाद टेक-अप होते हैं। सन् 1924 का एक्ट जो आपने इस बिल के द्वारा पेश किया है, उसे आप 1983 में संशोधित कर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि 5-6 महीने में कोई बड़ा आसमान जमीन पर आ जायेगा। मैंने जब इस बिल को पढ़ा तो मुझे

यह नहीं मालूम हो सका कि आप बिल से चाहते क्या हैं ? मैंने तो बिल में यह देखा है कि सारी की सारी पावर्स म्यूनिसिपल्स को होनी चाहिए। उससे भी कम आपने ब्यूरोक्रेट्स को पावर दे रखी हैं। बोर्ड के फंक्शन क्या हैं ? बिल्कुल साधारण फंक्शन हैं। सैक्शन 116 में दिए हुए हैं।

"116. It shall be the duty of every (Board), so far as the funds at its disposal permit, to make reasonable provision within the cantonment for—

- (a) lighting streets and other public places ;
- (b) watering streets and other public places ;
- (c) cleansing streets, public places and drains, abating nuisances and removing noxious vegetation ;
- (d) regulating offensive, dangerous or obnoxious trades, callings and practices ;
- (e) removing, on the ground of public safety, health or convenience, undesirable obstructions and projections in streets and other public places ;
- (f) securing or removing dangerous buildings and places ;
- (g) acquiring, maintaining, changing and regulating places for the disposal of the dead ;
- (h) constructing, altering and maintaining streets, culverts, markets, slaughter-houses, latrines, privies, urinals, drains, drainage works and sewerage works;"

इनको कुछ एमेंड आपने कर दिया है और यह कह दिया है।

establishing and maintaining a system of public vaccination and establishing and maintaining primary schools

इसको शामिल कर दिया जाए। वैक्सीनेशन के बारे में कह दिया है कि यह स्टेट सब्जेक्ट है। साधारण सिविक एग्जेक्यूटिव के बारे में काम

जो 1965 के एक्ट में बताए गए हैं, 35 साल के बाद आप कोड बनाते हैं तो क्या आप यह नहीं कर सकते थे कि सारी पावर्ज जो नौकर-शाही को दे रखी थीं, उससे उनको आप वापिस ले कर जनता के प्रतिनिधियों को देते ?

सैक्शन 24 को आप एमेंड कर रहे हैं और क्लॉज 16 में लिखते हैं :

"24. (1) For every cantonment there shall be an Executive Officer appointed by the Central Government or by such person as the Central Government may authorise in this behalf—

Provided that the Board may empower any of its members or officers to exercise or perform in the absence of the Executive Officer from the cantonment all or any such powers or duties of an Executive Officer under this Act as the Central Government may be notified in the Official Gazette, specify in this behalf."

आप फिर क्लॉज 3 एड करते हैं :

The Executive Officer shall be the Secretary of the Board and every Committee of the Board and may participate in every meeting.

आप कहते हैं कि सेक्रेटरी भी पार्टिसिपेट करेगा मीटिंग में। वह रिकार्ड रखेगा और न केवल यह बल्कि वह मीटिंगों में बैठ भी सकता है और वह मीटिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा। क्लॉज 16 को एमेंड किया है आपने। इस में आपने लिखा है :

Secretary can keep records. He can sit there in the meeting to participate in the meeting.

इलेक्ट्रिकल मंत्री इस बोर्ड में होंगे। नामिनेट भी आप करेंगे। उस बोर्ड के अन्दर सेक्रेटरी हर मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा।

I will request the hon. Minister to please take note of this. The Executive Officer shall be the Secretary of the Board and of every Committee of the Board and may participate in every meeting of the Board and of every Committee of the Board.

यह डेमोक्रेटिक सेट अप में कहीं नहीं है। और रक्षा राज्य मंत्री कह रहे थे कि लोकतन्त्र पद्धति में पावर देना चाहिये यह पावर दे रहे हैं कि सेक्रेटरी बोर्ड की मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। अब वाइस-प्रेसीडेंट को कैसे रिमूव करेंगे? सिर्फ वोट ले कर। यह नियम है कि अगर वाइस-प्रेसीडेंट को रिमूव करना है तो उसको हीयरिंग का मौका देना चाहिये आप रिमूव कर देंगे क्या कोई रिजोल्यूशन पास कर के ?

"A Vice-President may be removed from his office at a special meeting convened for the purpose on a requisition for the same by not less than one-half of the elected members of the Board holding office..."

अब आपने प्रेसीडेंट को पावर दे रखी है कि अगर वह सहमत न हो तो डिसेंटिंग नोट दे सकता है।

The President can dissent from the decision of the Board. The Board has taken a decision ; the President can give a dissenting note.

यह क्या तमाशा है। एक तरफ डेमोक्रेसी में विश्वास करते हैं और दूसरी तरफ कहत हैं बोर्ड ने जो निर्णय लिया उससे अगर प्रेसीडेंट एग्री न करे तो वह डिसेंटिंग नोट दे सकता है, जब कि वह इलेक्टड मेम्बर नहीं है। लेकिन पावर इतनी वाइड उसको दे रखी है। मेरी समझ में अब घूरे मन से आप यह बिल ले कर आये हैं कुछ छोटे-छोटे संशोधन कर के। यह क्या तरीका है? आप मेहरबानी करके इसको एक बार सिलेक्ट कमेटी में भेजिये और फिर बिल यहां लाइये।

अब आप क्या कर रहे हैं? मैंने जब यह पढ़ा : The Central Government may at any time require the Board to produce...

मैं कई बार कह चुका हूं कि जितनी म्युनिसिपैलिटीज और बोर्ड हैं वह ठीक तरह से क्यों नहीं फंक्शन कर रहे हैं? उसके अन्दर सरकार का इंटरफीयरेंस होता है।

MR. DEPUTY SPEAKER : Please conclude now.

SHRI MOOL CHAND DAGA : Sir, I will request you to go through this Bill and its various clauses. Just see what sort of Bill we are going to pass in the Parliament. It is very important ; do not try to hush up...

MR. DEPUTY-SPEAKER : All right, please continue.

श्री मूल चन्द डागा : बोर्ड ने एक मीटिंग की और उसके बाद एक निर्णय लिया। जो प्रेसीडेंट है वह उसको डिमेंट करने के बाद वह सरकार को भेजेगा। लोकतन्त्र के अन्दर शासन का विकेन्द्रीकरण होना चाहिये। जब तक आप अपनी पावर्स को डीसेन्ट्रलाइज नहीं करेंगे लोकतन्त्र आगे नहीं बढ़ सकता

"The President's dissent from any decision of the Board which he considers is prejudicial to the health, welfare or discipline of the troops in the Cantonment."

जब सारा बोर्ड है, आपके नामिनेटेड मेम्बर हैं, तब भी आप इस तरह का बिल लेकर आये हैं। हम चाहते हैं कि इस बिल पर आप पुनर्विचार करें। आपने एक क्लोज पेश किया —

Clause 46 says :

"The Central Government may at any time require a Board :

- (a) to produce any record, correspondence, plan or other things to furnish or to furnish to obtain and furnish any report."

Now we have got three more officers. Anybody can ask anybody to produce any document.

कई बार इस सदन में यह बात कही गई है कि हम औक्टाई को एबालिश करना चाहते हैं। जब सारे पोप्रेसिव मेयर्स हो चुके हैं, रिपोर्ट आ चुकी है कि हमको अक्टाई खत्म करनी चाहिये, कई बार इस बारे में हाउस में डिस्कशन हो चुका है कि इसमें बढ़ी करप्शन होती है, समय बर्बाद

होता है और आमदनी कम होती, इस पर डिजीजन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वह लागू नहीं हुए।

Now in Section 46 :

"The Central Government or such other Officer or authority as may be authorised by the Central Government on its behalf shall inspect it."

Now Section 48 says :

"The Officer Commanding-in-Chief, may, by order in writing :

Call for any book or document in the possession or under the control of the Board, required to furnish such Statements, accounts, reports and copies of documents relating to the proceedings duties or works as he thinks fit."

Now, this is the power given.

Now, what has he done ? In Clause 32 of the principle Act,

"after the words "Central Government or the Officer Commanding-in-Chief, the Command", the words "or the Director or such other officer or authority as may be authorised by the Central Government in this behalf" shall be inserted."

All these people are there that can ask for and inspect it.

इस प्रकार की म्युनिसिपैलिटीज में अगर ब्यूरोक्रेट्स का हस्तक्षेप होने लगे आपने उनको पावर्स दे दी हैं।

Never allowed to work.

म्युनिसिपैलिटीज आटोनामस बाडीज हैं, सैक्शन 47 में यह है—

"The Central Government or the Officer Commanding-in-Chief or the Command or its Director or such other Officer or authority..."

Gong on, on and on and or.

यह कोई बोर्ड बना रहे हैं जिस पर अधिकारियों का राज्य कर रखा है। पहले एक आफिसर था और अब 5 आफिसर हैं।

श्री माधव राव सिधिया (गूना) : यह बिल अधिकारी ही ड्राफ्ट करते हैं।

श्री मूलचन्द डागा : थोड़ा यह भी देखिए कि हम म्युनिसिपैलिटी से क्यों परेशान होते हैं। वहां इलेक्ट्रेड मैम्बर्स से ज्यादा पावर्स अधिकारियों के पास होती हैं।

To how many Officers you are giving powers ?

कभी किसी का माइंड भी देखा है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? सरकार यह किस तरह कह सकती है कि वह कैंटूनमेंट बोर्डज को डेमोक्रेटिक राइट्स दे रही है? उसे साफ कहना चाहिए कि हम इलेक्ट्रेड मैम्बर्ज को पावर नहीं देना चाहते। जब मिनिस्टर आफ स्टेट ने इस बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए कहा कि हम कैंटूनमेंट्स के लोगों को लोकतंत्र के अधिकार दे रहे हैं, तो हमें बड़ी खुशी हुई और हमने सोचा कि जवान आदमी है, बड़ी अच्छी बात कह रहा है। लेकिन इस बिल को पढ़ने से पता लगता है कि लोकतंत्र नहीं, बल्कि नौकरतंत्र लागू किया जा रहा है—लोक पर नौकर हावी हो गया है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि 1983 में इस तरह का बिल पेश किया जा रहा है।

ओरिजिनल एक्ट के सैक्शन 48 में कहा गया है :—

"The Officer Commanding-in-Chief, the Command, may, by order in writing—

(a) call for any book or document in the possession or under the control of the Board ;"

Now they want not only one officer, but so many other officers. I had quoted from the old Act of 1924. Now they are adding this.

जहां तक रेगुलेशनज का सम्बन्ध है, यह व्यवस्था की गई है कि कैंटूनमेंट बोर्ड द्वारा बनाए गए रेगुलेशनज तब तक लागू नहीं होंगे, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऐप्रूब न कर

दे। कैंटूनमेंट बोर्ड ने रेगुलेशन पास कर दिए, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की एप्रूवल के बिना वे वे एनफोर्स नहीं किए जा सकते। मैं ये बेसिक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ।

जहाँ तक सजा का सम्बन्ध है, अगर कोई व्यक्ति दारू रखेगा, तो उस पर 50 रुपए जुर्माना होगा—पहले यह प्राविजन था। अब जुर्माने की इस रकम को बढ़ाकर 250 रुपए कर दिया गया है। यह ठीक है। लेकिन जो तीन महीने की सजा रखी गई थी, उसका क्या किया? वह वैसे ही रहेगी।

टैक्स लगाने के बारे में यह प्रोवाइड किया गया है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन दे कि फलां टैक्स इम्पोज कर दी, तो कैंटूनमेंट बोर्ड को करना पड़ेगा। नए सैक्शन 63 ए में कहा गया है :—

“Where the Central Government is of opinion that for securing adequate financial provision for the efficient discharge of the duties and functions of a Board it is necessary so to do, it may issue directions to the Board requiring it to impose within the cantonment area any tax specified in the direction which it is empowered under this Act to impose and which is not already imposed within the said area.”

आप म्युनिसिपल बोर्डों को टैक्स लगाने और फाइनेंशियल हालत सुधारने की पावर्स देते हैं लेकिन यहाँ पर आप कहते हैं कि ऊपर से हुक्म देंगे कि यह टैक्स लगाओ और उसको इम्पोज किया जाना चाहिए। कैंटूनमेंट बोर्ड में इतने लोग मौजूद होंगे, आपने आलरेडी अपने आफिसर्स को नामिनेट करने की बात कही है। वह आफिसर्स बोर्ड के मेम्बर होंगे और वह पार्टिसेपेट करेंगे लेकिन फिर भी आप कहते हैं कि टैक्स ऊपर से लगाया जायेगा। फिर मेरी समझ में नहीं आता कि बोर्ड क्या फंक्शन करेगा? आपने लिखा हुआ है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, हेल्थ आफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चार मिलिट्री आफिसर्स और सात एलेक्टेड मेम्बर्स

रहेंगे। बोर्ड में इतने एलेक्टेड और नामिनेटेड मेम्बर्स होने के बावजूद आप कहते हैं कि उनके पास कोई पावर नहीं होगी। एक छोटी सी चीज की सैक्शन के लिए भी उनको दिल्ली आना पड़ेगा।

ऐसी हालत में मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि इसमें प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है और न ही कोई आसमान टूटने वाला है। 1924 में जो ऐक्ट बना था, उसमें बेसिक अमेंडमेंट्स अब आप 1983 में करने जा रहे हैं। आप मेहरबानी करके एक सेलेक्ट कमेटी बनाकर यह बिल उसके सुपुर्द कर दीजिए। कमेटी अपनी दो-चार बैठकें करके मानसून सेशन के पहले अपनी सिफारिशें इस सदन के सामने पेश कर देगी। यह कानून उन लोगों के लिए है जोकि कैंटूनमेंट में रहते हैं। उन लोगों की राय भी कमेटी के सामने आ जाएगी। जब एक तरफ हम लोकतन्त्र की दुहाई देते हैं तब सड़कें ठीक करने, लाइट्स देने जैसे मामूली कामों के लिए भी अगर दिल्ली से इजाजत लेनी पड़े तो यह मैं समझता हूँ हमारे लिए शर्म की बात होगी। 167 क्लॉजेज को यहाँ पर कुछ घंटों में पास कर देना मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। मेरा तो यही सुझाव है कि इस बिल पर विचार करने के लिए एक सेलेक्ट कमेटी बिठा दी जाए जोकि विचार-विमर्श करके अगले सेशन में अपनी रिपोर्ट पेश कर दे।

श्री सूरज भान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री वेंकटरमण जी और श्री के पी सिंह देव जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर एक विस्तृत विधेयक पेश किया। मैं इस विधेयक की सारी धाराओं से तो सहमत नहीं हूँ लेकिन इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं। 60 सालों के बाद अब विस्तार में कुछ अमेंडमेंट लाए गए हैं लेकिन बदकिस्मती से वह भी अधूरे हैं। डिमोक्रैटाइजेशन करने की बात कही गई है। जो एलेक्टेड मेम्बर्स होते हैं उन्हें पब्लिक रेप्रेजेंटेटिव कहा जाता है और जो नौकर हैं उन्हें पब्लिक सर्वेंट कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर

पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव के ऊपर पब्लिक सर्वेन्ट बैठेगा क्योंकि वह प्रेजिडेंट होगा। पब्लिक रेप्रेजेन्टेटिव उसके मातहत होंगे। मेरी समझ में नहीं आया यह कौन-सी डेमोक्रेसी है? यह भी हमारे यहां अग्रेजों की देन है जैसे कि 600 रियासतें और जमींदारी सिस्टम अग्रेजों की देन था। 600 रियासतें और जमींदारी सिस्टम तो अब रहा नहीं लेकिन यह 62 रिस्ते हुए नासूर अभी भी कायम हैं। मेरी तो सरकार से सीधी सी मांग है कि इन 62 कैंटोनमेंट्स को एबालिश कर दिया जाए।

उसका बेहतर तरीका यह है कि जिस कैंटोनमेंट के साथ म्यूनिसिपल कमेटो है, उसको म्यूनिसिपल कमेटो के साथ जोड़ दिया जाए। अगर कोई कारपोरेशन है, तो कारपोरेशन के साथ जोड़ दिया जाए। मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि इनके बोर्ड्स की यूटिलिटी क्या है। आर्मी के जो आदमी वहां पर रहते हैं, उनके पानी, बिजली और सड़क आदि की व्यवस्था एम ई एस करता है, बोर्ड कुछ नहीं करता है। दूध, घी, मक्खन, पनीर मिलिटरी डेयरी फार्म देता है, बोर्ड कुछ नहीं करता है। हास्पिटल मिलिटरी के तहत चलता है, बोर्ड कुछ नहीं करता है। आम सामानों की दुकानें आफिसर कमांडिंग के तहत चलती हैं, सेल्स टैक्स भी माफ होता है, इसमें भी बोर्ड कुछ नहीं करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर यह बोर्ड किस लिए है? आर्मी की किसी सर्विस के लिए है, तो है किस के लिए। अगर सिविलियन पोपुलेशन के लिए है, तो सिविलियन पोपुलेशन तो आसानी से म्यूनिसिपल के जरिए तय की जा सकती है।

मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि सरकार द्वारा 168 संशोधन लाए गए हैं और 162 माननीय सदस्यों द्वारा साए गए हैं। इससे जाहिर होता है कि सरकार भी काफी चिंतित है, और माननीय सदस्य भी काफी चिंतित हैं, लेकिन इसमें बात पूरी नहीं आती है। तफसील में मैं बाद में अपनी बात कहूंगा। इसलिए

बेहतर यही होगा, जैसा कि माननीय श्री डागा जी ने भी कहा है कि इसको ज्वाइंट सिलेक्ट को रेफर कर दिया जाए, ताकि वह अपने विचार दे सके। हर चीज को देखते हुए, सोच समझ कर दो तीन महीने के बाद अगले सेशन में इसको पास किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह पहले के कानून में है कि अगर सात चुने हुए सदस्य हैं, तो आठ नामजद मेम्बर होंगे, लेकिन पैरिटी लाने के लिए कह दिया कि आठवां मेम्बर नोमिनेट नहीं करेंगे। सात ही इलैक्टेड होंगे और सात ही नामजद होंगे। मैं समझता था कि इसके बारे में कोई अमेंडमेंट लायेंगे कि सात ही इलैक्टेड होंगे और सात ही नामजद होंगे, लेकिन आठवें के नामजदगी हटाने की बात नहीं रखी गई है। आर्डर के जारी करने से उसको हटाया हुआ है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि उस आर्डर को कभी-कभी वापिस लिया जा है। आप इतने अमेंडमेंट लाये थे, तो इसके लिए भी लाया जा सकता है।

वाइस प्रेजिडेंट पर नो-कांफिडेंस की बात के लिए संक्शन-21 में कहा है कि उसकी रिक्वीजिशन पर आघे से कम इलैक्टेड आदमी साइन नहीं करेंगे। मतलब यह कि सात आदमी हैं तो चार आदमी साइन करेंगे और साथ ही उसमें यह शर्त भी लगा दी है कि दो-तिहाई से कम उसको पास नहीं कर पायेंगे। यदि प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी नो-कांफिडेंस आता है, तो सिम्पल मैजोरिटी के पास हो सकता है, तो इस वाइस प्रेजिडेंट में ऐसे कौन-से सुखाब के पर लगे हुए हैं कि उसको हटाने के लिए दो-तिहाई बहुमत चाहिए। सिम्पल मैजोरिटी से उसको हटाया जा सकता है मैं यह भी कहना चाहता हूं कि वाइस प्रेजिडेंट इलैक्टेड होता है, तो उसको हटाने के लिए नोमिनेटेड आदमियों की वोट नहीं होनी चाहिए।

श्री एम० सत्यनारायण राव : उसमें है, ओनली इलैक्टेड।

श्री सूरज भान : नहीं है। आप देख लीजिए। उनकी वोट नहीं होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूँ कि जो इन्फ्रैक्टेड मेम्बर्स हैं, उनको मीटिंग एटेंड करने के लिए कम से कम 21 रुपए रोजाना भत्ता दे दीजिए। हमें 51 रु० मिलता है, तो उन्हें 21 रु० दे दीजिए। एक बात मैं यह भी कहना चाहता हूँ, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कि हमारे 62 केन्टोनमेंट में से सिर्फ 12 केन्टोनमेंट बोर्ड ही आत्मनिर्भर हैं। सन् 1981-82 में उनको 5 करोड़ 5 लाख रुपया अनुदान के तौर पर दिया है। इनको पूरा करने के लिए जो तरीके अख्तियार कर रखे हैं, वे अन-कांस्टीच्यूशनल हैं। सातवें शेड्यूल में स्टेट की लिस्ट है। उसमें टैक्सेस आन लैण्ड्स एंड बिल्डिंग्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, केन्द्र या बोर्ड नहीं लगा सकता है। टैक्स एन्टरटेनमेंट और एम्प्लूजमेंट एमप्लीटीज पर सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती है, स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है। आक्ट्रॉय टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, केन्द्र या बोर्ड नहीं लगा सकता है, लेकिन बोर्ड ने लगा रखा है। अगर कोई आदमी कोर्ट में चैलेंज कर दे तो उसी दिन सैट-ए-साइड हो जाएगा। ये चल इसीलिए रहे हैं कि जिस वक्त टैक्स लगे हैं, उस वक्त हिन्दुस्तान में संविधान नहीं था। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इसको हटाइए। अखबार और रेडियो के एडवर्टिजमेंट पर केन्द्र लगा सकती है, लेकिन इसके बाद भी कहीं दीवारों पर एडवर्टिजमेंट होते हैं, तो टैक्स लगाए हुए हैं। अगर आप को लगाना ही है तो आप एमेंडमेंट लाइए।

कांस्टीट्यूशन में एमेंडमेंट कीजिए और यह जो सीरियस लेकूना है, इस को दूर कीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : एमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है।

श्री सूरज भान : बगैर एमेंडमेंट जो यह किया जा रहा है, यह गलत है और अगर किसी

कोर्ट में यह चैलेंज होगा, तो सैट एसाइड हो जाएगा। खैर, मैं सुझाव ही दे सकता हूँ।

एक बात और यह कहना चाहता हूँ कि इस के आबजवट्स में यह कहा गया है कि सिविल एरिया कमेटी को हम ज्यादा पावर्स दे रहे हैं लेकिन हकीकत यह है कि और ज्यादा पावर्स देने की बजाय आप उसकी पावर्स घटा रहे हैं। मैंने इसके बारे में एमेंडमेंट दी है और मैं ज्यादा तफसील में इस समय नहीं जा सकता, अगर उस एमेंडमेंट को आप एक्सेप्ट कर लेते हैं तो जो आपकी मंशा ज्यादा पावर्स देने की है, उस एमेंडमेंट को एक्सेप्ट कर लेने के बाद उस को ज्यादा पावर्स मिल जाएंगी।

एक बहुत सीरियस चीज है। 51 (ए) में आप ने यह कहा है :

"The Central Government may, at any time, review any decision or order of the Board or the Officer Commanding-in-Chief, the Command, and pass such orders thereon as it may deem fit."

उपाध्यक्ष महोदय, आज बोर्ड एक फैसला करता है, एक आदमी मकान के लिये दरखास्त देता है कि मैं नक्शा पेश कर रहा हूँ और उस का नक्शा पास हो जाता है और वह मकान बना लेता है। अब इस में लिखा है "एट एनी टाइम" तो इसका मतलब यह हुआ कि 10 साल के बाद भी कहा जा सकता है कि फैसला बोर्ड गलत दिया है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि नहीं मकान गिराओ, तो मकान गिरा दिया जाएगा। इसमें अगर आप तीन महीने की लिमिट रखते, तो बात समझ में आ सकती थी या 6 महीने की लिमिटेड रखते, तो भी बात समझ में आ सकती थी लेकिन 10 साल के बाद आप यह कह दें कि बोर्ड का फैसला गलत है और मकान गिराओ, तो मेरा कहना यह है कि इस में कुछ तो सेन्स होनी चाहिए।

मैं समझता हूँ कि केन्टोनमेंट बोर्ड लैंड पालिसी में बहुत कमियाँ हैं की और इसलिए मेरा कहना यह है कि लैंड पालिसी इस एक्ट

का हिस्सा होनी चाहिए। अगर आप ऐसा कर बेते हैं, तो अच्छा होगा। इतिफाक से मैं कैंटो-मेंट के एरिया से आता हूँ और वहीं पर रहता हूँ।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीमनगर) : कौन सी केन्ट में।

श्री सूरज भान : अम्बाला केन्ट में।

श्री एम० सत्यनारायण राव : वह तो सैल्फ-सफीशियेन्ट है।

श्री सूरज भान : सैल्फ-सफीशियेन्ट है लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि वहाँ पर करीब 400 परिवार कोई 100 साल पहले आए थे और उनमें आधे से ज्यादा हरिजन परिवार हैं। अंग्रेजों ने उन्हें वहाँ पर बसाया था और उनके पास आधा एकड़ जमीन है, किसी के पास मुश्किल से एक एकड़ जमीन हो सकती है लेकिन अधिकांश के पास आधा एकड़ जमीन है। वहाँ पर उन को इसलिए बसाया गया था कि वे आर्मी के लिए सब्जी पैदा करके दें। उन गरीबों के सिर पर 15 साल से तलवार लटक रही है और अब यह हो रहा है कि इन को उजाड़ो, इन के घर गिराओ। जो तलवार उन के सिर पर लटक रही है, वह वापस होनी चाहिए। मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि जहाँ एक तरह इन आधा एकड़ वाले गरीब परिवारों को उजाड़ने की बात हो रही है, वहाँ दूसरी तरफ कर्नल सुजान सिंह, जो अब रिटायर हो चुके हैं, उनको 14 एकड़ जमीन, बड़ी वेल्यूएबल जमीन, जी० टी० रोड० पर, वहाँ के प्रेसीडेंट ने बिना बोर्ड की मंजूरी के, बिना सेन्ट्रल गवर्नमेंट की इजाजत के पर्मिनेन्ट लीज पर दे दी जबकि पर्मिनेन्ट लीज पर वह नहीं दी जा सकती है। बोर्ड ने रेज्यो-लूशन पास किया कि वह जमीन उन से वापस ले ली जाए, इसके लिए कार्यवाही की जाए। तब भी कुछ नहीं हुआ, तो केस अदालत में पहुँचा और नतीजा यह हुआ कि उस ने उस का किराया देना भी बन्द कर दिया। एक तरफ आधे एकड़ वाले को उजाड़ने की बात हो रही

है और दूसरी तरफ मिलिट्री के एक रिटायर्ड आफिसर को 14 एकड़ जमीन देकर बसाया जा रहा है। इसमें कुछ तो होना चाहिए।

कुछ दिक्कतें आती हैं। एक आदमी मकान का नक्शा देता है लेकिन वह पास नहीं होता है और यह कहा जाता है कि दो मंजिला मकान नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? वे कहते हैं कि हवाई जहाज आ कर टकरा-एगा लेकिन उसके साथ ही तीसरी मंजिल बनी हुई है। इस तरह की जो चीजें होती हैं, वे गलत हैं और इन को दूर होना चाहिए।

अम्बाला केन्ट में पानी की दिक्कत है। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं वक्ता फवक्ता आदरणीय के० पी० सिंह देव से मिलता रहता हूँ और उन्होंने कई दिक्कतें दूर भी की हैं और इस के लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि पिछली दीवाली को जहाँ मुल्क भर में रोशनी हुई, वहाँ कैंटोन्मेन्ट एरिया में बिल्कुल रोशनी न थी। उन्होंने इन्टरबीन किया और उसमें कुछ किया भी। और चीजों के लिये भी वे कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वहाँ पर जो लोगों की दिक्कतें हैं, उनको दूर किया जाए।

एक चीज और कहना चाहता हूँ कि बोर्ड की सब-कमेटीज जो बनती हैं, उनमें कहीं भी मिलिट्री आफिसर चैयरमैन नहीं होता लेकिन वहाँ पर वह चैयरमैन बन गए। मैंने इस मामले को टेक-अप किया और आदरणीय सिंह देव जी ने उसको बाद में हटा दिया लेकिन मेरा कहना यह है कि इस किस्म की घाघली चलती है, उस को चँक करना चाहिए।

आखिर में एक छोटी सी बात कह कर मैं बैठना चाहता हूँ। जबलपुर में नेहरू नगर है। नाले और रेलवे लाइन के बीच में वह है और वहाँ पर दक्षिण से आकर 70 हरिजन परिवार बसे हैं। यह नगर आदरणीय पण्डित नेहरू के नाम से जुड़ा हुआ है। वह जमीन किसी काम की नहीं है लेकिन वहाँ पर उन लोगों को उजा-

इने की बात हो रही है। मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वे इस केंस को एग्जामिन करा लें और ये गरीब हरिजन जो दक्षिण से आ कर बसे हैं, उनको वहां से न उजाड़ा जाए।

सब से आखिरी बात यह है कि कोटा में 5 लाख से ज्यादा की पापुलेशन हो गई है। आप की पालिसी यह है कि सिविल पापुलेशन को बढ़ाने के लिये कोई जमीन नहीं देंगे।

वहां की सिविल पापुलेशन को जमीन की जरूरत है। एक अलग ब्रिगड बनी है, उसको भी जगह चाहिए। उसके लिये कहीं भी जगह ली जा सकती है। कोटा के भूतपूर्व राजा का मकान लिया गया है। कहते हैं खाली जमीन भी ली गई है। 1975 में इस जमीन को लेने का फैसला किया गया। आज तक यह जमीन एक्वायर नहीं हुई है और दो करोड़ रुपया भूतपूर्व राजा को देने का फैसला हो रहा है। जब जमीन एक्वायर नहीं की गई है, इस्तेमाल नहीं हो रही है तो दो करोड़ रुपया किस बात का दिया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि यह दो करोड़ रुपया हरिजन न दिया जाए। सिविल पापुलेशन को इस जमीन की जरूरत है। कोटा के मास्टर प्लान में भी और ट्रेफिक सुविधा के लिये इस जमीन का नाम आया है। इस केंस को एग्जामिन किया जाए।

अंत में मेरा कहना भी यही है कि बेहतर यही होगा कि इस बिल को उवाइट सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाये तो ज्यादा अच्छा होगा। इसमें सारी बीमारियां दूर हो जाएगी।

SHRI M. SATYANARAYAN RAO : Mr. Deputy Speaker, Sir, I agree with Mr. Daga and other friends to refer this Bill to the Joint Select Committee. This is not a small Bill, this is a very big Bill brought forward in this House containing about 167 clauses. Being a Member of the Estimates Committee, I was one of the Members who visited these Cantonment areas. When we went there, we received several representations from the people living there. They had represented about their difficulties and all

those things to which I shall come later on. First, I would like to say that I do not think that the Minister stands on prestige on this matter. As a matter of fact, it is the wish of all the Members that because it requires detailed consideration, the Joint Select Committee should not be delayed under any circumstances. If it is referred to the Joint Select Committee, it should not be given any extension and they should be asked to submit their report by the next session so that we can take it up in the next session. I think it is a good suggestion and I hope the hon. Minister will accept this proposal. It is very necessary because this Act was passed in 1924 and, of course, there was an amendment also in 1954 but since 1954 it was never amended. After a long time, it is coming for the first time and in view of the changing circumstances in the country I think it is very necessary that it should be referred to a Joint Select Committee. It will have enough time not only to meet the people living there but also to meet the other army officers for whom these Cantonment Boards were constituted in 1924. They can then formulate the recommendations and those recommendations can be considered by us.

Now, in this particular Bill, I congratulate the Minister for extending the term from three years to five years. But, unfortunately, the term of the elected Vice-President is proposed to be reduced from three years to 2½ years. It is not only undemocratic but it is also irrational. It should not be like that. If that is the proposal, if you think that more persons should be given opportunity to serve as Vice-President, then why don't you make it one year? Then in five years, five persons will have the opportunity to serve as Vice-President. Just like our Corporations where the term of Mayor is only one year, you make the term of the Vice-President also either one year or five years but not 2½ years. There is no meaning at all in making it 2½ years. Better you make it five years. After all, we are also here for five years, so why not those people? Those should not be any discrimination. It is not reasonable at all. I think it will be accepted by you.

I appreciate the purpose of not making an elected man a President. At the time the Act was enacted in 1924, the primary object was to serve the troops in the cantonment

area. During this period, not only the areas under the cantonment have expanded but the population living in the cantonment areas has also increased. These people have gone to the cantonment areas, not only to earn their livelihood but also to serve the troops as traders, barbers, washermen etc. These people, in their turn, had children and the population further increased. But the provision of facilities in the cantonments did not increase correspondingly.

If we look at the conditions in the cantonments, as Shri Madhavrao Scindia has pointed out, some of them are doing well like Jubbulpore, Pune, Ambala, Kanpur, Delhi etc. About 12 cantonments are self-sufficient and they are providing all the facilities like provision of drinking water, running of schools, hospitals etc. But the remaining cantonments are in a hopeless condition. As a member of the Sub-Committee of the Estimates Committee, I have myself seen some of them. The conditions there are not at all good. So, you have to increase the grant-in-aid to them.

Even though the people from the surrounding areas are going to the cantonment, the State in which the cantonment is situated is not prepared to come forward to extend financial help on the ground that under the Cantonments Act, the responsibility of providing drinking water, schools and hospitals is that of the Cantonment Board, which comes under the Central Government, and so they have no obligation. Now that Act has been amended they cannot take that plea. Further, it is a joint responsibility of the Central and State Government. As was mentioned when the debate on Centre-State relationship was going on, we all belong to one State or another. We may be elected to Lok Sabha, some may be Ministers here, but we are all coming from the States. The States cannot take the stand that they have no responsibility, so far as cantonment is concerned. So, the Centre should impress on the State Governments to help the cantonments, especially when they are in financial difficulties.

Since the States are imposing three taxes, like sales-tax, the tax on motor vehicles and one more; why do you not ask them to earmark a portion of it for the cantonments so that it will help the financial position of the

cantonments? This is a suggestion made by the Estimates Committee, which should be taken into consideration by the hon. Minister.

The conditions of living of the people in the cantonment area requires proper attention on the part of the hon. Minister. Apart from being the Defence Minister, he is also a trade union leader. So, he has to improve the conditions of the poorer sections of the people. It is the responsibility of the Defence Minister to see that not only the troops are provided with all the amenities, but also the people who are serving the troops are provided all the amenities. The finances required for that purpose should be provided to the cantonments. Apart from the tax structure recommended by the Estimates Committee, the grant-in-aid by the Central Government in 1982 was about Rs. 6 crores. It is not at all sufficient. When we are giving you so many crores of rupees for the defence of the country, you have to provide more money for the cantonments, because they are part and parcel of the defence effort.

Here I want to refer to the condition of the cantonment in Secunderabad. I have already referred to it in the Consultative Committee. The Estimates Committee has also made a reference to it after seeing the conditions. The Defence Secretary has agreed to take it up with the State Government. But you should also provide some more facilities. Now the roads are in a very hopeless condition. There is a National Highway which goes through the Cantonment area. That is not maintained by the State Government or by anybody else. When I asked the State Government why they are not maintaining it properly when it is in a hopeless condition, they say it is not their responsibility. The car owners are complaining that whenever they travel on that road their cars are getting damaged completely. Somebody brought this to my notice; and I actually saw it when I visited that place. So, when I brought this to the notice of the State Government, they said that it is not their responsibility, it is a cantonment area, so the Defence people should attend to that. When I asked the Defence people, they said it is not their responsibility because it is a National Highway. That way it is a suffering to the people. The Estimates Committee has specifically recommended that this should

be taken up and repaired immediately. I hope that this will be repaired soon.

I do not want to take much of the time of the House, but I once again request the hon. Minister to refer this Bill to the Select Committee with the instructions that the report should be submitted to this House by next Session.

About the term of the Vice-President, I said that it should be raised from 2½ years to 5 years. In order to serve the troops of that area, the GOC is the President there. Now there should be a change. When we examined the Defence people, they themselves agreed that sometimes the resident officer there is not able to devote much time for this. Only at the time of Meeting, he presides over it, but sometimes it is presided over by the Vice-president. When we see this kind of situation, I am compelled to ask : Why don't you make a non-official as President ? There is nothing wrong in it. In this new Bill there is a clause added here which empowers the Central Government to review the orders passed by them and also the decisions taken not only by the Cantonment Board, but also by the G.O.C. So, when that power is given to you, that means that the overall supervision is there and if something goes wrong and if a wrong decision is taken by the Cantonment Board, then you can change it. You have already taken this power. After taking this power, I think there is a necessity of making a non-official as President and I hope the hon. Minister will consider it.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, छावनी संशोधन विधेयक 1982 पर हम विचार कर रहे हैं...

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please sit down.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : I have already sat down.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Are you on a point of order ? There is no point of order.

SHRI GIRDHARI LAL VYAS : I am sitting here. (Interruptions). My name is before him.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I shall call one by one. Even at this age you are impatient. That is why I wanted them to come to an understanding between themselves so that one should talk But the other one will not allow.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन : इसके सम्बन्ध में मेरे मित्रों ने अपने अपने विचार सदन के समक्ष रखे हैं। मैं भी इस मत का हूँ कि...

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Jain, you can continue after lunch.

The House stands adjourned to meet at 2.10 p.m. 13.09 hours.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till ten minutes past Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at Eighteen minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy Speaker in the Chair.)

CANTONMENTS (AMENDMENT)

BILL—CONTD.

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, छावनी संशोधन विधेयक 1982 के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूँ। इस विधेयक के बारे में मैं यह कहना चाहता हूँ कि वास्तविक शक्ति कैंटोन्मेंट के प्रेजिडेंट और एग्जीक्यूटिव आफिसर के पास है। यह प्रजातंत्र के सिद्धान्त के खिलाफ है। हम यह चाहते हैं कि कैंटोन्मेंट बोर्ड के अन्तर्गत जो श्रेणियाँ 1,2,3 बनी हुई हैं, उसमें श्रेणी 1 के अंतर्गत जो बोर्ड आते हैं वह 10,000 से अधिक जनसंख्या पर आते हैं। वहाँ पर प्रेजिडेंट डेमोक्रेटिक-वे से इलेक्शन से आना चाहिये, इस सम्बन्ध में आपको कदम उठाने चाहिये। क्योंकि 10,000 से अधिक जब जनसंख्या है और मिलेट्री की भी संख्या है, परन्तु मिलेट्री की इतनी संख्या हो नहीं सकती, इसलिये ऐसी अवस्था में यह आवश्यक है कि हम नान-आफिशियल को जनता के प्रतिनिधि को सका अध्यक्ष बनायें। यह हमें प्रयास करना चाहिये।

जो अधिकार पहले बोर्ड और सिविल एरिया कमिटी के पास थे, इस विधेयक के द्वारा वे एक्जीक्यूटिव आफिसर को दे दिए गए हैं। इस प्रकार एक्जीक्यूटिव आफिसर को बहुत ही प्रभावशाली और स्ट्रॉंग बना दिया गया है। यूँ समझिए कि कैंटूनमेंट बोर्ड का सारा ढाँचा एक्जीक्यूटिव आफिसर के जरिये चलाने की व्यवस्था की गई है। हमने देखा है कि म्यूनिसिपल बोर्ड में भी जब एक्जीक्यूटिव आफिसर को ज्यादा अधिकार दिए जाते हैं और वह करप्ट होता है, तो जनता को बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर एक्जीक्यूटिव आफिसर ईमानदार अधिकारी हो, तब तो काम ठीक तरह से चलता है। परन्तु अगर कोई करप्ट और पक्षपात करने वाला अधिकारी आ जाता है, तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। एक अधिकारी को इतने व्यापक अधिकार देना न्यायसंगत नहीं है, वह प्रजातन्त्र के सिद्धान्तों के भी विपरीत है।

बोर्ड में अधिकारियों की संख्या ज्यादा रखी गई है। मैं चाहता हूँ कि अधिकारियों की संख्या से इलेक्ट्रिक मेम्बरज की संख्या ज्यादा हो, भले ही एक ही ज्यादा हो। तभी कैंटूनमेंट बोर्ड एक डेमोक्रेटिक वे में फंक्शन कर सकते हैं।

सरकार बाड़मेर और जैसलमेर में छावनियाँ कायम करने जा रही है। देश की सुरक्षा के लिए इन छावनियों की स्थापना और सैनिकों के रहने की व्यवस्था में हम पूरी तरह सहयोग देने के लिये तैयार हैं। परन्तु हम चाहते हैं कि ये जो नगर बसे हुए हैं, कैंटूनमेंट एरिया उनसे दस किलोमीटर की दूरी पर हो। यह प्रयास किया जा रहा है कि उनसे पाँच किलोमीटर की दूरी पर कैंटूनमेंट एरिया स्थापित किया जाए। यह उचित नहीं है। पिछले दस बीस वर्षों में बाड़मेर टाउन का बहुत विस्तार हुआ है। उस की जनसंख्या में भी बहुत वृद्धि हुई है। 1981 में उसकी जनसंख्या 60,000 थी। अगले दस सालों में वह बढ़ कर 90,000 हो जाएगी। अगर कैंटूनमेंट एरिया पाँच किलोमीटर की

दूरी पर होगा, तो बाद में बाड़मेर नगर और कैंटूनमेंट एरिया आपस में जुड़ जाएंगे। इस लिए यह आवश्यक है कि सरकार कैंटूनमेंट एरिया के लिए स्थान हमारी सलाह से मुकर्रर करे। हमने इस बारे में जिलाधीश को जो सलाह दी है, अधिकारी उससे सहमत हैं। अगर उसके अनुसार कैंटूनमेंट एरिया स्थापित किया जाएगा, तो बाड़मेर टाउन को विस्तार का अवसर मिलेगा और कैंटूनमेंट एरिया भी शहर से दूर रहेगा।

जैसलमेर एक टूरिस्ट सेंटर है। अगर कैंटूनमेंट एरिया शहर के बिल्कुल पास बनाया जाएगा, तो उसके पर्यावरण और टूरिस्ट सेंटर की सुविधाओं पर उसका असर पड़ सकता है। कैंटूनमेंट एरिया स्थापित करने में इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि जैसलमेर और बाड़मेर से दस किलोमीटर की दूरी पर कैंटूनमेंट एरिया स्थापित किया जाए।

कोई भी कैंटूनमेंट एरिया स्थापित करते हुए वहाँ की रोड्ज और ड्रिंकिंग वाटर आदि के लिए मास्टर प्लान बनाना चाहिए। इस प्रकार मास्टर प्लान बनाकर कैंटोनमेंट बनाने चाहिए ताकि वह एक आदर्श हो सकें। पहले के मुकाबले में आज कैंटोनमेंट्स में सिविल पापुलेशन बढ़ गई है और इसके साथ-साथ समस्याएँ भी बढ़ी हैं। वहाँ पर पानी का संकट पैदा हो गया है और स्लम्स कायम हो गये हैं। हम नहीं चाहते कि आगे बनने वाले कैंटोनमेंट्स की भी वही हालत हो। इसीलिए मास्टर प्लान की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया है।

इसके अतिरिक्त आपने जो फंड्स निर्धारित किये हैं वह बहुत कम हैं, उनको बढ़ाना चाहिये। 1981-82 में 5.06 करोड़ निर्धारित किये गये थे और इस वर्ष 6 करोड़ निर्धारित किये गये हैं, इन कैंटोनमेंट्स की मदद के लिए, लेकिन यह बहुत कम है। इसको बढ़ाया जाना चाहिये। आज 64 कैंटोनमेंट्स में से 12 अपने पैरों पर खड़े हैं। दूसरे भी अपने पैरों पर खड़े हो सकें,

इसके लिए आवश्यक है कि उनकी आप पर्याप्त मदद करें।

जहां तक टैक्सेज का सम्बन्ध है, मैं यह कहना चाहता हूं कि छोटे-छोटे कैंटोनमेंट्स टैक्स नहीं लगा सकते हैं, इस सम्बन्ध में आपकी तरफ से गाइडलाइन्स और डायरेक्शन्स उनके पास जाने चाहिए ताकि वह अच्छी तरह से फंक्शन कर सकें।

मेरा यह भी सुझाव है कि पेड़-पौधों की ओर भी समुचित ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि प्राकृतिक वातावरण सुरक्षित रखा जा सके। यदि सरकार कैंटोनमेंट बोर्ड्स में ऐसा वातावरण नहीं रख सकती है तो अन्य जगहों पर यह कैसे सम्भव होगा। एक आदर्श नगर के रूप में उनका विकास होना चाहिये जहां पर सड़कों की, सफाई की अच्छी व्यवस्था हो।

इन शब्दों के साथ, जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, कैंटोनमेंट बोर्ड्स के सम्बन्ध में जो विधेयक इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। मेरा सबसे पहला आब्जेक्शन यह है कि तीन साल से बढ़ा कर जो पांच साल की टाइम लिमिट की गई है वह बिल्कुल गलत है। जितनी भी चुनी हुई प्रतिनिधि सभायें हैं, म्युनिसिपैलिटीज हैं उनके सम्बन्ध में तीन साल की टाइम लिमिट है इसलिये यहां पर उसको बढ़ाकर पांच साल करना गलत है।

दूसरी बात यह है कि वा. स. प्रेसीडेंट का टर्म ढाई साल का रखा गया है जिसके बाद दूसरा चुन लिया जायेगा—मेरी समझ में नहीं आया इसका कारण क्या है? किस वजह से ऐसा किया गया है? मेरा सबसे पहला आब्जेक्शन तो यह है कि पांच साल तक बढ़ाना गलत होगा, तीन साल ही ठीक रहेगा।

SHRI H.N. BAHUGUNA : I am on a point of order. Having supported the Bill, can he object to its provisions? Is it in order?

श्री गिरधारी लाल व्यास : ये मेरा टाइम ले रहे हैं।

MR. DEPUTY SPEAKER : Subject to the acceptance of these provisions, he supports the Bill!

श्री गिरधारी लाल व्यास : एक बात मैं नो-कांफिडेंस के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। क्लॉज-14 में प्रावधान किया गया है कि वाइस-प्रेजिडेंट के खिलाफ नो-कांफिडेंस लाया जा सकता है। यह प्रावधान गलत किया गया है। प्रेजिडेंट जब कि मिलिटरी का अधिकारी है, उसके खिलाफ कोई नो-कांफिडेंस नहीं आ सकता है, तो वाइस प्रेजिडेंट जिसको कोई अधिकार नहीं है, उस व्यक्ति के खिलाफ नो-कांफिडेंस लाने की बात कर रहे हैं। यह बिल्कुल गलत बात है। सारे अधिकार तो आपने एक्जीक्यूटिव ऑफिसर को दे दिये हैं, तो वाइस प्रेजिडेंट क्या करेगा। यह किस के खिलाफ नो-कांफिडेंस लाया गया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Mr. Vyas, you can say like this. When any voter of any constituency cannot bring a no-confidence motion against his own Member of Parliament, why about this, Vice President?

I agree with you, Sir.

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर ध्यान दें। यह गलत प्रावधान है।

तीसरी बात इसमें यह कही गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट-कैन रिव्यू एनी आर्डर। यह जो अमेंडमेंट लाया गया है, यह बिल्कुल सही हुआ है।... (व्यवधान)... मैं आप से निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक कैंटोनमेंट के जितने फैसले हुए हैं, वे सब गलत हुए हैं। यदि कहीं-कहीं पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने दखल दी है, तो उसकी वजह से सुधार हो गया है, नहीं तो बहुत बड़ी तकलीफ लोगों को उठानी पड़ती। रिव्यू का जो

सब्जेक्ट रखा गया है, बिल्कुल सही रखा गया है। यह जब तक नहीं होगा, तब तक वहां का अधिकारी अपनी मर्जी से कुछ भी फैसला कर सकता है। एस्टीमेट कमेटी में हमें केन्टोनमेंट बोर्ड को एग्जामिन करने का मौका मिला था, उस वक्त ज्यादातर लोगों ने इस बात को कहा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि केन्टोनमेंट बोर्ड के खिलाफ शिकायत को सुना जा सके। यह प्रावधान जो किया गया है, बहुत ही आवश्यक है।

एक बात मैं क्लॉज-41 के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। सेंट्रल गवर्नमेंट केन्टोनमेंट बोर्ड को यह आदेश देगी कि आप यह टैक्स लगायेंगे। यह बिल्कुल गलत प्रावधान है। म्यूनिसिपैलिटीज द्वारा जितने भी टैक्स लगाये जाते हैं, वे सब पहले आम जनता के सामने आते हैं। आब्जेक्शंस इन्वाइट करते हैं। लोगों को अच्छी तरह से सुना जाता है, तसल्ली होने पर ही टैक्स लगाया जाता है। जब यह प्रावधान है कि बोर्ड में सात आदमी चुने हुए होंगे और ऐसी हालत में केन्टोनमेंट बोर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश से भी टैक्स लगाना चाहे तो उसको निश्चित तरीके से पहले जनता के बीच जाना चाहिए आब्जेक्शंस इन्वाइट करने चाहिए। वही तरीका फोलो करना चाहिए, तब टैक्स लगाने का अधिकार होना चाहिये। डायरेक्शंस के बेस पर बात नहीं होनी चाहिये। प्रजातान्त्रिक व्यवस्था में सारी व्यवस्था ठीक प्रकार होनी चाहिए।

खास बात मैं जो चुने हुए लोग हैं, उनके सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। प्रेजिडेंट जिसको कमांडिंग आफिसर बना दिया, उसको सारे अधिकार हैं। मगर जो चुने हुये लोग हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव आफिसर को दे दिए हैं। यह बहुत गलत बात है। जो अधिकार पहले वाइस प्रेजिडेंट और मेम्बर्स को हुआ करते थे, वही अधिकार इनको देने चाहिए। क्लॉज-54 में टैक्सेस के सम्बन्ध में अपील का प्रावधान किया है।

MR. DEPUTY-SPEAKER : Have you given notice of any amendment ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : नहीं, मैं कुछ बातें मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। टैक्स लेवी के संबंध में एक अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में करने का प्रावधान किया है। जब आपने सारे अधिकार एग्जीक्यूटिव आफिसर को दे दिए हैं, तो ऐसी हालत में दो अपील की जा सकती है। पहली अपील बोर्ड को और दूसरी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को हो सकती है क्योंकि उससे लोगों को बड़ा आराम मिलेगा। अगर बोर्ड से ही मामला सुलभ जाए, तो बेकार में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाने की नौबत नहीं आएगी। इसलिए मेरा सुझाव है कि पहली अपील बोर्ड में हो और दूसरी अपील डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हो।

इसी तरह से एमोनिटीज के बारे में मैं खास तौर से कहना चाहता हूं। सब से बड़ा मुद्दा जो है वह यही है। अस्पताल, स्कूल, जानवरों के अस्पताल लाइब्रेरीज और सड़क, बिजली, पानी वगैरह का जो प्रावधान है, उस के बारे में आप ने एक बड़ा गलत क्लॉज रखा है कि ये सारी डिस्ट्रिक्शनरी होंगी। पहले तो सारी जिम्मेवारी इन्हीं की थी कि केन्टोनमेंट बोर्ड स्कूल चलायेगा, पानी की व्यवस्था करेगा, बिजली और सड़कों की व्यवस्था करेगा, पुस्तकालयों, सीवरेज और सब प्रकार की व्यवस्था वह करेगा लेकिन अब उस की कोई जिम्मेवारी नहीं है क्योंकि आप ने इस को डिस्ट्रिक्शनरी कर दिया है। इस तरह का प्रावधान करने से केन्टोनमेंट में रहने वाले लोगों की हालत बहुत खराब हो जाएगी। वहां पर पर हाईजिनिक कंडिशनस बहुत खराब हो जाएंगी, बच्चों की पढ़ाई के लिए स्कूलों की व्यवस्था नहीं होगी और न ही पीने के पानी और सड़कों आदि की व्यवस्था ठीक रहेगी। वहां की सारी व्यवस्था ही ठप्प हो जाएगी और एक नरक-कुंड में वहां के लोगों को रहना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति वहां पर हो जाएगी। इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो डिस्ट्रिक्शनरी आप ने किया है, यह सही नहीं है। आप इन

चीजों का इन्तजाम स्टेट गवर्नमेंट को दीजिये और स्टेट गवर्नमेंट निश्चित तरीके से इन की व्यवस्था करे। अगर इस बिल में आप ने इस तरह का कोई प्रावधान नहीं रखा, तो जितनी एमीनीटीज इन गरीब लोगों को मिलती हैं केन्टोन्मेंट से, वे सब गड़बड़ा जाएंगी क्योंकि हम ने देखा है कि कई केन्टोन्मेंट एरियाज में सड़कों में इतने गड्ढे हो गये हैं कि वहां पर गाड़ियां नहीं चल सकती हैं, लोगों को बिजली नहीं मिलती और रेड-लाइट किसी जगह हमें देखने को नहीं मिली। यह भी आप देखिये कि पीने का जो पानी है, वह जवानों को कितना मिलता है और केन्टोन्मेंट में रहने वाले जो दूसरे लोग हैं, उनको कितना मिलता है, इन दोनों को जितना मिलता है, उस में उतना ही फर्क है जितना कि आज अमीरी और गरीबी के बीच की खाई है। सिविलियन्स और आर्सी के जवानों को जितना पानी मिलता है, उस में इतना बड़ा अन्तर है, जिस को हम मिटा नहीं सकते। आप ने 6 करोड़ रुपये की व्यवस्था 64 केन्टोन्मेंट्स के लिए की है। जितनी बड़ी उनकी समस्याएं हैं, उन को देखते हुए यह प्रावधान तो एक राई के बराबर भी नहीं है। सिकन्दराबाद केन्टोन्मेंट को 10 लाख रुपया मिलता है। उस में न पानी की व्यवस्था ठीक हो सकती है और न दूसरी कोई एमीनीटीज हम दे सकते हैं और न वहां जो चीजें पहले से मौजूद हैं, उनको ही मेंटेन कर सकते हैं। एस्टीमेट्सकमेटी ने जो एक सुझाव इस सम्बन्ध में दिया है, वह बिल्कुल दुरुस्त है। उस की रिपोर्ट में इस बात को कहा गया है कि सैल्स टैक्स जो राज्य सरकारें वसूल करती हैं या इन्कम टैक्स जो भारत सरकार वसूल करती है या अन्य प्रकार के टैक्स जो भारत सरकार और राज्य सरकारें वसूल करती हैं, उन में कुछ हिस्सा केन्टोन्मेंट एरियाज को मिलना चाहिए। सीवरेज का किसी जगह पर कोई प्रावधान नहीं है। आप यह देखें कि हैदराबाद में सीवरेज का सिस्टम है लेकिन सिकन्दराबाद में इस का कोई सवाल नहीं है, वह सड़ रहा है।

हैदराबाद की सड़कें म्यूनिसिपल एरिया में बहुत अच्छी हैं लेकिन केन्टोन्मेंट एरिया में जाओ तो वहां सड़कें बहुत खराब हो गई हैं और उनमें गड्ढे पड़ चुके हैं। यही स्थिति बच्चों के स्कूलों की है। आज कितनी ज्यादा पापूलेशन बढ़ गई है और सिकन्दराबाद के केन्टोन्मेंट एरिया की आबादी एक लाख से ज्यादा होगी। जब केन्टोन्मेंट बनी थी, उस वक्त उस की आबादी मुश्किल से दो-तीन हजार ही होगी। इसी प्रकार की स्थिति अम्बाला की होगी, जिसका जिक्र अभी माननीय सदस्य कर रहे थे। और भी जो बड़े बड़े सेन्टर्स हैं, वहां जितने भयानक रूप से पापूलेशन बढ़ी है, उस हिसाब से एमीनीटीज नहीं दी गई हैं और निश्चित तरीके से वहां का जीवन नारकीय हो गया है। इसलिये मेरा कहना यह है कि वहां की व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए आप को फाइनेन्शियल व्यवस्था ठीक करनी होगी ताकि वहां पर सड़कें, स्कूल, अस्पताल बन सकें और लोगों को पीने का पानी ठीक से मिल सके। वहां पर बिजली और अन्य प्रकार की व्यवस्था भी ठीक करने की जरूरत है। एक और बात की तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं। आप ने इस कानून में लोगों को बिल्डिंगें बनाने की, पुरानी बिल्डिंगों को तोड़ कर दूसरी बिल्डिंगें बनाने की स्वीकृति दी है मगर उस के साथ साथ आज पापूलेशन जितनी बड़ी तादाद में बढ़ गई है, उस को देखते हुए नई बिल्डिंगों के लिये या दूसरी अन्य प्रकार की सुविधाएं देने के लिये प्रावधान नहीं किया है। हमने राजस्थान में नसीराबाद में देखा है। वहां पर अभी लोगों को मकान बनाने की इजाजत नहीं है। इतनी आबादी बढ़ गई है तो लोगों को मकान और अन्य चीजों की सुविधाएं मिलनी चाहिये। यह बात सही है कि सिविल पापूलेशन कंटोनमेंट एरियाज में ज्यादा नहीं चाहिए। इसका हल यह है कि इसको सिविल पापूलेशन से अलग कर दीजिए। जैसा कि अभी कहा है कि अब कंटोनमेंट एरियाज नहीं बनेंगे। मिल्ट्री के लिये अब जगह शहर से दूर रखी

जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि पुरानी जगहों से भी मिल्ट्री को नई जगहों पर बसाया जाए और आबादी जो निरंतर बढ़ती जा रही है, उसको सुविधाएं दी जाए। इससे सारी व्यवस्था ठीक हो सकेगी।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि जो सुझाव मैंने दिए हैं, उन पर ध्यान दें और ये सुझावों पर प्रदान करने की कोशिश करेंगे। इसके हाथ ही मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ।

MR. DEPUTY-SPEAKER Now, the Hon. Minister will reply.

SHRI K. P. SINGH DEO : Mr. Deputy-Speake, Sir, I am extremely thankful to the hon. Members, some of whom have opposed and a majority of them have supported this Bill. In fact, I am extremely grateful for their very frank, free and forthright observations and comments. Some of them have been very thought-provoking, some have been extremely interesting and some have been highly amusing.

I take this opportunity to clarify Government's stand on the amending Bill. This discussion has really given me a chance not only to give the Government's point of view but also to clear some of the doubts which are in the minds of the hon. Members and to answer some of the queries which they have raised. There are five or six main points which have been raised by the hon. Members. One was the British legacy which we have inherited in the form of cantonments. Second is the point of democratisation and local self-Government. Third was that too much power is being given to the Executive Officers. Fourth was that the Bill should go to the Joint Committee and the fifth and the more important point made by many hon. Members was that the term of the Vice President should be five years just like the term of the other Members of the Board. Lastly they said that the obligatory functions which the Cantonment was doing should be reinstated.

Sir, firstly, I would like to answer these points and, after I answer these, with the limited time at my disposal, I will try to answer the individual points which have been made by the hon. Members. If time does not permit, then we shall send a note to the hon. Members.

MR. DEPUTY-SPEAKER : At 15 hours the Private Members' business is coming up. So, you can also continue next time.

SHRI K.P. SINGH DEO : Anyway, I would deal with Shri Amal Datta's point first. He raised some constitutional points. Sir, he is a wellknown Barrister and he has made a very interesting and in-depth study of many legal documents. He has done an impressive home work on this. He has quoted the former Commander-in-Chief, General Rollingson as also the Estimates Committee Report of 1953-55. At the same time he has very conveniently left some of the comments of General Rollingson while he was moving this Cantonment Bill in 1924.

With your permission, Sir, I would like to quote. This is from the report of the Task Force which was set up by the Government of India in 1972.

Sir, I would like to bring forward the historical aspect. From 19th century we have been debating the concept of cantonments and how they came into being in India and there have been a series of legislations starting from 1890, 1910, 1924, 1954 and then in 1972 a task force was set-up by the Government of India. Before that Mr. S.K. Patil, who was in the local self-Government had also set-up a study group to go into the local self-government aspects of the cantonments. This task force in 1972 after meeting some of the Vice Presidents and President of the cantonments and also the people living in cantonments gave a detailed report to the Government of India and in 1978 it was given to the Cabinet. The then Cabinet did not take any decision. So, in 1980 it was again referred to the Cabinet and in 1980 a sub-committee under the Minister of Home looked into it and after due deliberations only then this Bill has been brought before the Parliament. So, the question which was raised by the hon.

Member, Mr. Datta that it was a hotch-potch amendment is not fair.

Secondly, Sir, he had raised the point about the competence of Parliament to legislate on cantonments and he said that it is ultra-vires and it will be struck down. I think the right forum for striking down or questioning the competence of Parliament is judiciary. I do not think we can pass a comment or pass judgement over ourselves about the competency of ourselves in this House.

Sir, I was referring to General Lord Rawlinson whom he had quoted copiously from the Cantonment Bill. I will quote the operative part :

"The fundamental purpose for which cantonments exist must not be lost sight of. They cannot be merely converted into municipalities. Certain special powers must be reserved to Government to safeguard the health, welfare and the discipline of the troops and the means of exercising these powers must also be secured."

Sir, the study group which had been set-up by Government, in its Report have also included in their recommendation and with your permission I would like to quote parts 5.2 and 4.3 of the recommendations :

"4.2 Cantonments are really military stations where the armed forces are accommodated and trained. The civil population has sprung up to cater for the needs of the garrison stationed there and is mainly confined to civil areas which form only a small part of the cantonment. The larger part of the military area is, therefore, primarily military station and the over-riding consideration there is military interest.

4.3 It is an accepted policy in the administration of military station that the Commander should be responsible for the health and welfare of the armed forces personnel and his authority in this respect has to be unquestionable and undivided. It is only on this consideration alone that official control in the cantonment administration has

been retained. Moreover, the nomination of official members on a local body to look after special interests is a common administration device. It is not peculiar to cantonment administration alone. There are a number of local bodies, members on which are partially or wholly nominated.

"4.4 It has not therefore been possible to accept suggestion to have elected majority on the cantonment boards or to have an elected member as President of the Board. As the Officer Commanding Station is to remain as the President, the power of control will remain with the GOC-in-charge of the Command, who is a superior authority."

"4.5. As regards abolition of Cantonment is concerned, it may be stated that the Cantonments exist primarily for the troops where, health, sanitation and discipline are the primary consideration in the administration of the Cantonment. The interest of the Government over the Defence lands is safeguarded through Cantonment administration. The Cantonment are an institution in themselves and have stood the test of time. These have succeeded in ensuring safe, healthy and cheerful surroundings to the troops in addition to extending the benefits of health, sanitation and security to the local population."

SHRI H.N. BAHUGUNA : Question.

SHRI K.P. SINGH DEO : You may question. This is the opinion of the Task Force which was given, which had met, which had met the Vice President, the President and this was given in 1972. It is not the opinion of the British and also Gen. Lord Rawlinson, while moving the amendment to the Act, had that thing to say.

The second point is about democratisation. Most of the hon. Members were trying to make out the point that the Bill sought to democratise and to have the President from the elected members. In my opening remarks, I did say that although there was a demand for democratisation and a civilian-elected member as President, it was not possible

because of certain facts which I have already enumerated and which has been brought out by the Task Force and also, as has been deliberated by the Cabinet because of the special interest which we must attach to the Armed Forces for their training, their security, their welfare, their sanitation, their health and which cannot be bartered away or compromised.

SHRI AMAL DATTA : Does the Task Force consist of members from military or are there others ?

SHRI K.P. SINGH DEO : No. There is only one military member.

SHRI H.N. BAHUGUNA : Was there a Barrister in that ?

SHRI K.P. SINGH DEO : Well, I am not very sure. But I suppose the former Defence Secretary, Shri Dave, was there and he is an ICS Officer and I suppose he has done the Barrister in Law in England. (*Interruptions*) The hon. Member, Shri Datta, also referred to the Estimates Committee Report of 1954 and some hon. Members like Shri Acharya Bhagwan Dev as well as Shri Satyanarayan Rao have also referred to the 53rd Report which was placed on the 22nd. The 54th Report of the Estimates Committee in which some of the points were there in the 47th Estimates Committee Report of 1983 has already been quoted by Mr. Vyas as well as Mr. Satyanarayana Rao in which the Estimates Committee have also agreed to the very rudiments as well as ethos of this Cantonment Amendment Bill. So, I would not like to waste the time of the House and would not like to say anything more and I would leave it to the House to judge.

Many of the hon. Members referred to the question of local-self Government and that this amendment is not in consonance with the local-self Government and in regard to the municipalities it is not in consonance with what has happened in the ordinary municipalities. I would like to submit that in my opening remarks I had quoted what Gen. Lord Rawlinson had also said that "Cantonments cannot be made as municipalities". There has to be a basic difference. But at the same time, we are trying within our constraints to

extend to the civil areas the civic amenities, as far as practicable, to be compared with any other well run municipality.

Some of the hon. Members also quoted from the report of the Estimates Committee and gave other figures how the grants-in-aid for the various Cantonments have gone up in the last three years from Rs. four crores to Rs. six crores, one crore every year. It is a 20% jump. This is at a time when none of the Cantonment Boards are willing to tax or to take any unpopular decisions for the civil areas. Therefore, for the first time, we have inserted a clause by which not the Central Government can review, but it can also direct the Cantonments to raise revenue so that they can meet some of the civic demands of the civil areas.

Many of the hon. Members have said that some of the civic services are deficient : some of them are bad, and most of them have quoted names of the roads. Some of these roads are national highways which do not belong to the Cantonment Boards. I would come to them later and enumerate them specifically. But until they become a part of the Cantonment Boards responsibility, the Cantonment Boards cannot spend money on their upkeep, maintenance and repairs.

A point has been made by many hon. Members that too much of power is being vested with the Executive Officer. If one goes through the amending Bill carefully, it will be seen that it is only the routine administrative functions which the Board has delegated to the Executive Officer, just like it is done in any ordinary municipality, or local body. In case there is any criticism, or if there is anything against the Executive officer, then it is the Board which has the final authority ; it can take a decision. Even the Central Government can interfere into it ; it can look into and the Central Government means even the Parliament. It can also be raised by the Parliament. It is not a question that the Executive Officer has been given more powers ; it is question of carrying on day to day administration. Now the Civil Areas Committee has been given certain additional responsibility which was hitherto of the Board.

There is a suggestion by many hon.

Members that this Bill with 162 clauses, mostly on the same four or five points, with 169 amendments, should be referred to a Joint Select Committee. As I mentioned earlier, after 1954, when certain amendments took place, as has been pointed out by Acharya Bhagwan Dev, Government has been continuously evaluating, continuously it has been holding consultations with people in the Cantonments, with the Presidents and Vice-Presidents, people living in the Cantonments. They had also set up two Study Groups, one under Shri S.K. Patil, the then local-self Government Minister, and the other under Shri Dhawe, and the 1972 when the task force report was submitted, it was looked into by the Cabinet Sub Committee under the chairmanship of the Home Minister. It is only after all that, that we have come before the Parliament with this amending Bill. Therefore, there has been an indepth consideration, there has been due consultations with the people residing there, and the people who are responsible for the administration, people who have been elected representatives has also been consulted. It is not necessary, in view of this to send this Bill to a Joint Select Committee.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I think, you may not be able to complete today. We have to take up Private Members Business at 3.00 p.m. You may continue on Monday.

**STATEMENT re : ARRIVAL OF FIRST
BATCH OF ENRICHED URANIUM
FROM FRANCE**

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, ATOMIC ENERGY, SPACE, ELECTRONICS AND OCEAN DEVELOPMENT (SHRI SHIVRAJ V. PATIL) : Sir, I am happy to inform this august House that the first batch of enriched uranium from France has just landed at Hyderabad airport. The material is being moved to the Nuclear Fuel Complex at Moula Ali and the transshipment to the factory should be completed by this evening. Weighment and confirmatory analysis will be done on the next day.

SHRI H.N. BAHUGUNA : On a point of information.

MR. DEPUTY-SPEAKER : No clarification.

SHRI H.N. BAHUGUNA : No clarification, I am on a point of information.

MR. DEPUTY-SPEAKER : You give notice on this. I am not allowing a discussion on this.

SHRI BAHUGUNA : I am on a point of information.

MR. DEPUTY-SPEAKER : I am sorry, you know the rules. Now we go to the private Members business.

*(Interruptions)**

MR. DEPUTY-SPEAKER : please don't record anything. You can congratulate him and all that.

SHRI AMAL DATT (Diamond Harbour) : Sir, the House has a right.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Nothing is going to be hidden by the Government or by the Parliament. Therefore, why do you worry. You have got sufficient time now.

SHRI AMAL DATT : Then why has he given the Statement at all ?

(Interruptions)

MR. DEPUTY-SPEAKER : Please, Order please. I am now going to the Private Members Business.

**COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS
BILLS AND RESOLUTIONS**

Fiftyninth Report

PROF. RUP CHAND PAL (Hoogly) : Sir, I beg to move :

"That this House do agree with the Fiftyninth Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 4th May, 1983."

MR. DEPUTY-SPEAKER : The question is :